उत्तर प्रदेश शासन
डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग
संख्या–374/68-1-10-55फ08
लखनऊ : दिनांक 22 फरवरी, 2010

कार्यालय ज्ञाप

चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत वर्ष 1995–96 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में से 2000 ग्राम एवं वर्ष 1997–98 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में से 195 ग्राम अर्थात कुल 2195 ग्रामें एवं इनके समस्त मजरों को उक्त योजना के समस्त कार्यक्रमों से संतृप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष लक्ष्यानुसार प्रगति एवं कराये जा रहे निर्माण कार्यों का सत्यापन करने एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु संलग्नक–1 के अनुसार कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपदों के भ्रमण तथा योजनान्तर्गत कराये जा रहे/अथवा सम्पादित कार्यों हेतु नामित/अधिकृत किया जाता है।

2– इन अधिकारियों के सहयोगार्थ संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी तथा संबंधित स्थानीय अधिकारी सुसंगत सूचना/अभिलेखों सहित उपस्थित रहेंगे। भ्रमण के समय जिलाधिकारी द्वारा डा0 अम्बेडकर ग्राम में कराये जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की आवश्यकतानुसार जांच हेतु एक तकनीकी अधिकारी, जो सहायक अभियंता से निम्न न होगा, तैनात किया जायेगा।

3– इसी क्रम में अपेक्षा की जाती है कि संबंधित अधिकारी अपने दो आवंटित जनपदों में प्रति जनपद 03 डा0 अम्बेडकर ग्रामों का निरीक्षण करेंगे। उक्त योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमों एवं उनके संतृप्तीकरण के निर्धारित मानक का विवरण संलग्नक–2 में है।

निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा योजना के लाभार्थीपरक कार्यक्रमों के संबंध में कतिपय लाभार्थियों का भी सत्यापन किया जायेगा। निर्माण कार्यों यथा, सी0सी0 रोड/के0सी0 ड्रेन, डामरीकरण, नाली/खड़न्जा तथा मजरों को जोड़ने विषयक निर्माण व सामुदायिक केन्द्र के निर्माण के निरीक्षण के समय निर्माण कार्य की गुणवत्ता का ऑकलन भी किया जायेगा। यह भी देखा जायेगा कि मार्गों का निर्माण स्वीकृत कार्ययोजना व एतद्विषयक साइट प्लान के अनुरूप है व उपयोगी है।

4– उक्त नामित अधिकारियों द्वारा आवंटित दोनों जनपदों के 3–3 ग्रामों का निरीक्षण दिनांक 05 मार्च, 2010 के पूर्व करके निरीक्षण आख्या विलम्बतम दिनांक 09 मार्च, 2010 तक उपलब्ध करायी जायेगी। तत्पश्चात 06 मार्च, 2010 से 20 मार्च, 2010 के मध्य पुनः आवंटित दोनों जनपदों के 3–3 अन्य ग्रामों का निरीक्षण/सत्यापन किया जायेगा और निरीक्षण आख्या विलम्बतम दिनांक 23.03.2010 तक उपलब्ध करायी जायेगी। स्थलीय निरीक्षण हेतु ग्रामों का चयन रैण्डम आधार पर संबंधित अधिकारी द्वारा स्वयं जनपद में पहुँचने के पश्चात किया जायेगा।

5— भ्रमण पर जाने वाले अधिकारी आवंटित जनपद में अपने विभागीय कार्यकलापों की भी समीक्षा करेंगे।

संलग्नक-यथोपरि

(आर0के0 शर्मा)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या- 3750/68-1-03-5/ततदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—:

1— प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2— निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास।
3— स्टाफ ऑफीसर , कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त के अवलोकनार्थ।
4— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा, उ0प्र0 शासन।
5— समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6— संबंधित अधिकारी को उक्त संलग्नकों सहित।

आज्ञा से,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संलग्नक–1

क्र.स.	जांच अधिकारी का नाम	पदनाम/ विभाग का नाम	आवंटित जनपद	
1	श्री बलविन्दर कुमार	प्रमुख सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	मुरादाबाद	रामपुर
2	सुश्री लीना जौहरी	सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	गाजियाबाद	गौतमबुद्धनगर
3	श्री चन्द्रिका प्रसाद तिवारी	विशेष सचिव, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।	बहराईच	श्रावस्ती
4	श्री हरि शंकर पाण्डेय	निदेशक, उद्यान विभाग, उ0प्र0।	इलाहाबाद	संतरविदासनगर
5	श्रीमती मंजु चन्द्र	विशेष सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	कौशाम्बी	चित्रकूट
6	श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाहा	प्रबंध निदेशक, यू.पी.स्टेट एग्रो, लखनऊ	बुलन्दशहर	अलीगढ़
7	श्री नन्द किशोर द्विवेदी	विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।	फतेहपुर	बांदा
8	श्री राजेश कुमार सिंह	निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।	सीतापुर	खीरी
9	श्री राम बली	अपर कृषि निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, कृषि भवन लखनऊ	गोण्डा	बलरामपुर
10	श्री आर.एन. सिंह	विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	वाराणसी	चन्दौली
11	श्री अनुराग यादव	अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।	बागपत	मेरठ
12	श्री ऊषा रमण त्रिपाठी	विशेष सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।	फैजाबाद	अम्बेडकरनगर
13	श्री प्रभात कुमार सिन्हा	विशेष सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उ0प्र0 शासन।	बरेली	पीलीभीत
14	सुश्री पुष्पा सिंह	अपर आयुक्त, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।	हरदोई	उन्नाव
15	श्रीमती सुनीता चतुर्वेदी	निदेशक, रेशम विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।	प्रतापगढ़	सुल्तानपुर
16	श्री मणि प्रसाद मिश्र	विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।	लखनऊ	बाराबंकी, रायबरेली
17	श्री पी.के. अग्रवाल	विशेष सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन।	कानपुर	जालौन

			देहात	
18	श्री बाबू लाल अग्रवाल	विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	कन्नौज	कानपुर नगर
19	श्री अमिताभ	विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।	मथुरा	आगरा
20	श्री राजेन्द्र कुमार गोयल	विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।	सहारनपुर	मुजफ्फरनगर
21	श्री मोहन लाल	विशेष सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।	बदायूँ	शाहजहांपुर
22	श्री बी.डी. श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।	फर्रुखाबाद	मैनपुरी
23	श्री राम बोध मौर्य	प्रबंध निदेशक, पी.सी.एफ., लखनऊ।	आजमगढ़	मऊ
24	श्री सूरज नारायण पाण्डेय	विशेष सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग/परती भूमि विकास, उ0प्र0 शासन।	बस्ती	सन्तकबीरनगर
25	श्री प्रेम नारायण	विशेष सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	महामायानगर	फिरोजाबाद
26	श्री अश्विनी कुमार श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।	देवरिया	बलिया
27	श्री सीताराम यादव	संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	कुशीनगर	गोरखपुर
28	श्री शहजादे लाल	संयुक्त सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0 शासन।	मिर्जापुर	सोनभद्र
29	श्री शरीफ अहमद खान	महानिदेशक, युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।	सिद्धार्थनगर	महराजगंज
30	श्री रवीन्द्र सिंह	सामान्य प्रबंधक, पी.सी.एफ., उ0प्र0, लखनऊ।	जौनपुर	गाजीपुर
31	श्री शशांक जोशी	सामान्य प्रबंधक, पी.सी.एफ., उ0प्र0, लखनऊ।	इटावा	औरैया
32	श्री राम स्वरूप	सामान्य प्रबंधक, पी.सी.एफ., उ0प्र0, लखनऊ।	महोबा	महीरपुर
33	श्री आर. डी. द्विवेदी	सामान्य प्रबंधक, पी.सी.एफ., उ0प्र0, लखनऊ।	झांसी	ललितपुर
34	श्री जितेन्द्र सिंह	संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।	बिजनौर	ज्योतिबाफुलेनगर
35	डा0 अशोक कुमार सिंह	अपर कृषि निदेशक, लखनऊ	एटा	कांशीरामनगर

संलग्नक–2

योजनान्तर्गत कार्यक्रम एवं उनके संतृप्तीकरण के मानक

3– डा0 अम्बेडकर ग्रामसभा विकास योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम व उनके प्रशासकीय विभाग निम्नवत् है–

क्रमांक	कार्यक्रम	प्रशासनिक विभाग
1.	स्वच्छ शौचालय	पंचायती राज विभाग
2.	मार्गों का निर्माण	
	(क) सम्पर्क मार्ग	लोक निर्माण विभाग
	(ख) सी0सी0 रोड, के0सी0 ड्रेन	पंचायती राज विभाग
3.	ग्रामीण विद्युतीकरण	ऊर्जा विभाग
4.	स्वच्छ पेयजल	ग्राम्य विकास विभाग
5.	ग्रामीण आवास एवं कृषि योग्य भूमि का आवंटन : (क) आवासहीन को आवासीय पट्टा (ख) आवासहीन को आवास (ग) भूमिहीन को कृषि योग्य भूमि पट्टा	 राजस्व विभाग ग्राम्य विकास विभाग राजस्व विभाग

4– डा0 अम्बेडकर ग्रामसभा विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में डा0 अम्बेडकर ग्रामो मे योजना के अन्तगत कराय जान वाल कायक्रमा क सतृप्ताकरण क मानक निम्नवत् ह :–

(1) <u>स्वच्छ शौचालय</u> :–
स्वच्छ शौचालय निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनान्तर्गत चयनित प्रत्येक ग्राम के समस्त बी0पी0एल0 एवं 10 प्रतिशत ए0पी0एल0 परिवारों को पूर्णतया आच्छादित किया जायेगा।

(2) <u>मार्गों का निर्माण</u> :–

(क) सम्पर्क मार्ग–

इस योजना के अन्तर्गत चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम के मुख्य राजस्व ग्राम को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा (single connectivity) जायेगा तथा इन राजस्व ग्रामों की सबसे बड़ी आबादी वाले अनुसूचित जाति/जनजाति वाले मजरे को भी सर्वऋतु सम्पर्क मार्ग से जोड़े (single connectivity) जाने पर उस ग्राम को सम्पर्क मार्ग से संतृप्त माना जायेगा। सम्पर्क मार्ग का निर्माण उक्त ग्राम/मजरे की आबादी के प्रथम घर तक किया जायेगा, लेकिन यदि कोई सम्पर्क मार्ग कई ग्रामों/मजरों को जोड़ता है (अर्थात सम्पर्क मार्ग ग्रू–रूट प्रकृति का है) तो ऐसी दशा में वह मार्ग गांव की आबादी के भीतर प्रवेश करेगा और ऐसा होने पर आबाद वाले भाग में भी निर्माण का कार्य किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त मुख्य राजस्व ग्राम व उनके समस्त मजरों को (single connectivity) से जोड़े जाने पर ही ग्राम योजना के सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्यक्रम से संतृप्त माना जायेगा।

(ख) <u>सी0सी0 रोड, के0सी0 ड्रेन व अण्डर ग्राउण्ड ड्रेन का निर्माण</u> :–

चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में डा0 अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड तथा के0सी0 ड्रेन के निर्माण के मानक पंचायतीराज अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–2539 /33– 2–2008–115जी /2008 दिनांक 16 जून, 2009 द्वारा निर्धारित हैं :–

(I) सी0सी0रोड के साथ केवल के0सी0 ड्रेन का निर्माण कराया जायेगा तथा कच्चे ड्रेन का निर्माण नहीं कराया जायेगा।

(II) सी0सी0रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण घनी आबादी वाली उन्हीं गलियों में कराया जायेगा, जिसके दोनों तरफ आबादी होगी।

(III) जहां गली के केवल एक तरफ आबादी है, वहां 2.5 मी0 की चौड़ाई की सीमा तक सी0सी0रोड को निर्माण कराया जायेगा, जिसमें आबादी की तरफ ही के0सी0ड्रेन का निर्माण कराया जायेगा।

(IV) सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण का कार्य अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के मजरों में ही प्रारम्भ किया जायेगा।

(V) जहां मजरे में दो आबादी के बीच 50 मी0 से कम की दूरी है, वहां 2.5 मी0 की औसत चौड़ाई की सीमा तक सी0सी0रोड का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें के0सी0ड्रेन का निर्माण नहीं कराया जायेगा।

(VI) जहां मजरों के बीच में 50 मी0 से अधिक की लम्बाई में सड़क है, वहां उसका डामरीकरण/सी0सी0रोड का निर्माण (बिना के0सी0ड्रेन के) लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने बजट से कराया जायेगा।

(VII) चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0रोड की औसत चौड़ाई 2.5 मी0 रखी जाय। उदाहरण स्वरूप यदि किसी ग्राम में 300 मी0 सी0सी0रोड का निर्माण किया जाना है, तो उसकी औसत चौड़ाई 2.5 मी0 के साथ कुल 750 वर्ग मी0 सी0सी0रोड का निर्माण किया जा सकेगा, अर्थात चयनित किसी ग्राम में सी0सी0रोड की चौड़ाई कहीं 2.5 मी0 से कम होगी, तो कहीं 2.5 मी0 से अधिक हो सकती है, परन्तु औसत चौड़ाई 2.5 मी0 से अधिक नही होगी।

(VIII) डा0 अम्बेडकर ग्राम के सभी मजरों में आबादी की आन्तरिक सड़कों में सी0सी0रोड व के0सी0ड्रेन के निर्माण हेतु रू0 40 लाख की अधिकतम धनराशि का प्राविधान है। शासनादेश संख्या 4103/33–2–2009–115जी/2008 दिनांक 15 सितम्बर, 2009 की शर्तों के अधीन जिलाधिकारी व मण्डलायुक्त को जनपद में उपलब्ध बचत की धनराशि से क्रमशः रू0 50 लाख तथा रू0 60 लाख की सीमा तक की स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया है। जहाँ ग्राम में उपर्युक्त धनराशि से भी सी0सी0रोड व के0सी0 ड्रेन का निर्माण ग्राम व मजरो तक पूरा नहीं हो सके वहाँ अवशेष आन्तरिक मार्ग हेतु डामरीकरण/खड़न्जा नाली का निर्माण कार्य पूर्व में आवंटित 04 मंडलों (मेरठ, सहारनपुर ,चित्रकूट व गोरखपुर) के 15 जनपदों में लोक निर्माण विभाग द्वारा व शेष 14 मण्डलों के 56 जनपदों में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा इस संबंध में निर्गत दिशा–निर्देशोंके अनुसार कराया जायेगा।

मुख्य राजस्व ग्राम तथा मजरों में आन्तरिक सड़कों का निर्माण पूरा हो जाने तथा मुख्य राजस्व ग्राम एवं मजरों को (single connectivity) से जोड़ दिये जाने पर इस कार्यक्रम से संतृप्त माना जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार मुख्य राजस्व ग्राम तथा मजरो में आन्तरिक सड़कों का निर्माण पूरा हो जाने पर ग्राम इस कार्यक्रम से संतृप्त माना जायेगा।

(3) <u>ग्रामीण विद्युतीकरण</u> –

(I) डा0 अम्बेडकर ग्राम में मूलभूत सुविधाएं तथा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन उस ग्राम के आबाद क्षेत्र एवं समस्त मजरों तक पहुँच जाय।

(II) उस ग्राम के सार्वजनिक स्थलों जैसे– स्कूल , पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक केन्द्र में विद्युत सुविधा उपलब्ध करा दी जाय।

(III) उस ग्राम के कुल परिवारों के 10 प्रतिशत परिवार विद्युतीकृत हो जाय ।

उपर्युक्त मानकों के अनुसार डा0 अम्बेडकर ग्राम में विद्युत की पहुँच हो जाने पर ग्राम संतृप्त माना जायेगा।

(4) <u>स्वच्छ पेजजल</u> :–

इस योजना में नये हैण्डपम्पों की स्थापना, स्थायी रूप से खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की बसावटों में 100 व्यक्तियों की वर्तमान जनसंख्या के मध्य एक हैण्डपम्प स्थापित किया जायेगा।

(5) <u>ग्रामीण आवास एवं कृषि योग्य भूमि का आवंटन</u> :–

(I) आवासहीन को आवासीय पट्टा– डा0 अम्बेडकर ग्रामों में उपलब्ध भूमि को राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में प्रथम वरियता अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को देते हुए पात्र लाभार्थियों को भूमि के आवंटन एवं विधिवत कब्जा दिये जाने के उपरान्त ही ग्राम संतृप्त माने जायेगें।

(II) आवासहीन को आवास– भारत सरकार द्वारा संचालित इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार बी0पी0एल0 सर्वे 2002 की इन्दिरा आवास की स्थायी प्रतीक्षा सूची से क्रमानुसार पात्र परिवारों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराया जायेगा। ग्राम पंचायत की स्थायी पात्रता सूची के सभी पात्र व्यक्तियों के आवास निर्माण के उपरान्त ग्राम को इस कार्यक्रम से संतृप्त माना जायेगा

(III) भूमिहीन को कृषि योग्य भूमि पट्टा– डा0 अम्बेडकर ग्रामों में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि को जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम– 1950(यथासंशोधित) के अन्तर्गत निर्धारित वरीयता क्रम में प्रथम वरीयता अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को देते हुए, पात्र लाभार्थियों को भूमि के आवंटन एवं विधिवत कब्जा दिये जाने के उपरान्त ही डा0 अम्बेडकर ग्राम को संतृप्त माना जायेगा।